

राजस्थान सरकार
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर

Email: ccf.ajmr.forest@rajasthan.gov.in, ccf.ajmr.forest@gmail.com Tel no.: 0145-2426740

क्रमांक एफ 11(63एन)एफसीए/मुवस/2023
निमित्त,

5045

दिनांक:- 15/12/23

श्रीमान अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय: Diversion of 0.1845 ha. forest land for construction of approach road for a new Hindustan Petroleum Corporation Ltd. retail outlet On (Nagaur-Bikaner) Road (NH-89) Beetween KM Stone No. 180-181, LHS in khasra No. 525/128 at Village - Barani, Tehsil & District - Nagaur (Rajasthan).

Proposal No : FP/RJ/ROAD/57309/2020

संदर्भ : उप वन संरक्षक, नागौर का पत्रांक 7335 दिनांक 05.12.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प1.(95)वन/2021 दिनांक 10.04.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में 0.1845 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, नागौर द्वारा प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है—

क्र.	पैरावाईज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निमाण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

Signature valid

Digitally signed by Sharda Prakash Singh
Designation: Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.15 14:58:39 IST
Reason: Approved

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान(Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
9. प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।)
10. प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति पत्र की प्रति संलग्न है।)
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु आव यक धनराशि रूपये 1,98,000/- (अक्षरे रूपये एक लाख अठानवे हजार मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि की मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.1845 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रूपये 1,23,641/- (अक्षरे रूपये एक लाख तेबीस हजार छः सौ इक्तालीस रूपये मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

Signature valid

Raj Ref
5187192

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.15 14:58:39 IST
Reason: Approved

14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण से पालना अपेक्षित नहीं है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है।(दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न) एवं शेष बिन्दु की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार दो सेट मूल।

भवदीय

(एस.पी. सिंह)

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

Signature valid

RajKaj Ref
5187192

Digitally signed by Sharda Pratap Singh
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.15 14:58:39 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ (58)एफसीए/उवसं/2023-24/7335

दिनांक : 05-12-23

निमित्त :

मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर



विषय : Diversion of 0.1845 hectare forest land for construction of approach road for a new Hindustan Petroleum Corporation Ltd. retail outlet On (Nagaur-Bikaner) Road (NH-89) Between KM Stone No. 180-181, LHS in khasra No. 525/128 at Village - Barani, Tehsil & District - Nagaur (Rajasthan). Proposal No : FP/RJ/ROAD/57309/2020

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (95) वन/2021 जयपुर, दिनांक 10.04.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 0.1845 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की यूजर एजेन्सी से प्राप्त बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र.	पैरावाईज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)

FCA
22
14/12/23
14.12.23

Signature valid

RajKaj Ref
5126866



Digitally signed by Sunil Kumar Thalor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.05 17:58:38 IST
Reason: Approved

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान(Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति पत्र की प्रति संलग्न है।)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु आव यक धनराशि रूपये 1,98,000/- (अक्षर रूपये एक लाख अठानवे हजार मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.1845 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रूपये 1,23,641/- (अक्षर रूपये एक लाख तेबीस हजार छः सौ इक्तालीस रूपये मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

Signature valid

RajKaj Ref
5126866

Digitally signed by Sunil Kumar Thalor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.05 17:58:38 IST
Reason: Approved

<p>बेवपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	
<p>14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।</p>	<p>इस आशय की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)</p>
<p>15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण से पालना अपेक्षित नहीं है।</p>
<p>16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है।(दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न) एवं शेष बिन्दु की पालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।(प्रति संलग्न)</p>

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुनील कुमार)
उप वन संरक्षक
नागौर

दिनांक :

क्रमांक : सम./

प्रतिलिपि: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA) राज., जयपुर को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Signature valid

RajKaj Ref
5126866

Digitally signed by Sunil Kumar Thalor
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2023.12.05 17:58:38 IST
Reason: Approved

क्रमांक : FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक: 25.10.2023

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
नागौर,
राजस्थान।

विषय :- अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.1845 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक F (58) Tech/ उवसं /2023-24/5458 दिनांक 04.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Limited

Prav...
Chief Regional Manager-Retail

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का

गुजराती संस्थाएँ एटर्नी
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd

Poojendra Kumar
Chief Regional Manager-Retail

	में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,98,000/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 03/10/2023 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,23,641/- रुपये दिनांक 03/10/2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन

Duly Certified
For
Praveen Kumar

<p>ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।</p>	<p>ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।</p>
---	--

भवदीय

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
(Praveen Kumar) -Retail

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BR 512388

शपथ-पत्र

Project Name: - Diversion of 0.1845 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

मनके प्रवीण कुमार शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह है कि मिकर एवं भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर हिन्दुस्तान प्रेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अंतानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

5635

दिनांक 12 5 OCT 2023

पुस्तक का मूल्य

50

मुद्राक क्रेता

क्रेता का नाम श्री

HPCL

पिता, पति का नाम श्री

JODHPUR

पता

मुद्राक खरीदने का प्रयोजन

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत स्टाम्प चार्ज पर प्रयोजित अधिभार	
1. आधारभूत 1 वर्षका सुविधाओं हेतु (भा. 3- क)- 10% रुपये	5
2. नाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (भा. 3- ख)- 10% रुपये	10
कुल योग	15
राजस्थान स्टाम्प वेन्डर	

रामराजु माह
 ता. नं. 26/2019
 प्ल. 35, श्रीनिवास नगर, रोड नं 5
 बी.के.आई. एरिया, जयपुर 302001

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।
12. प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
13. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,98,000/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 03/10/2023 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,23,641/- रुपये दिनांक 03/10/2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।
16. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
18. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager Retail
(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)
Chief Regional Manager-Retail
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)

Chief Regional Manager-Retail
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)
Chief Regional Manager-Retail
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)

Praveen Kumar
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)
Chief Regional Manager (Retail)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (9) की अनुपालना में एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपि संलग्न है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)

Chief Regional Manager-Retail
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। प्रतिलिपि संलग्न है।

मिहिर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
(Praveen Kumar)
Chief Regional Manager (Retail)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भिकर
Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,98,000/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 03/10/2023 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

मिकर
Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

(Praveen Kumar)

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (13) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 1,23,641/- रुपये दिनांक 03/10/2023 को ई-चालान द्वारा CAMPA Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

मिकर
Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Praveen Kumar
Chief (Praveen Kumar)
Senior Regional Manager-Retail

Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)
Chief Regional Manager-Retail
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

मिकर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)
Chief Regional Manager-Retail
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

क्रमांक :- FP/RJ/ROAD/57309/2020

दिनांक :- 25.10.2023

Project Name: - Diversion of 0.1845 Hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Retail Outlet on Nagaur - Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village - Barani, Tehsil - Nagaur, District - Nagaur, Rajasthan.

Proposal No: - FP/RJ/ROAD/57309/2020

Applied Area: - 0.1845 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (95) वन / 2021 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (16) की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

मिथर

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

(Praveen Kumar)
Chief Regional Manager-Retail
Senior Regional Manager (Retail)

Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Retail Regional Office,

Jodhpur - 342005

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
जोफ़ डीएचपीय A Government of India Undertaking
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 28-09-2023

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD JODHPUR
Application No.	6157309191
MoEF/SG File No.	1(95)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address.	HPCL JODHPUR Jodhpur
Amount(in Rs)	321641/-

Amount in Words : Three Lakh Twenty-One Thousand Six Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856157309191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
जोफ़ डीएचपीय A Government of India Undertaking
आंध्र प्रदेश Andhra Pradesh Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 28-09-2023

Agency Name.	HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD JODHPUR
Application No.	6157309191
MoEF/SG File No.	1(95)FOREST/2021
Location.	RAJASTHAN
Address:	HPCL JODHPUR Jodhpur
Amount(in Rs)	321641/-

Amount in Words : Three Lakh Twenty-One Thousand Six Hundred and Forty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150856157309191 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

Customers Copy

Received application for RTGS / NEFT for an amount of Rs. 321641/- vide Cash / Cheque number 0000010 to be credited to Account number 150856157309191 Bank with IFSC Code UBIN0996335. Customers will be guided by the Terms and Conditions mentioned in the form. HDFC Bank will accept no liability for any consequences arising out of a cheque details provided by the Customer.

Request for MC / DD / RTGS and NEFT can also be placed using Netbanking

HDFC BANK LTD
Bank Seal
For HDFC Bank

FORM-I
(For LINEAR PROJECTS)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(09)/(51)Rev/2021/

Date :

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -EC(pt.) dated 28th October, 2014 it is certified that 0.1845 hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Hindustan Petroleum Corporation Ltd.** for construction of approach road for proposed Retail outlet (purpose for diversion of forest land) along the **Nagaur-Bikaner Road (NH-89)** between KM stone No. 180-181, LHS in the part of khasra No. 525/128 on Road in Nagaur district falls within jurisdiction of **Barani** village in **Nagaur Tehsil.**

It is further certified that the above 0.1845 hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive tribal group (PTG) and the rights of pre-agriculture communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted is having plantation which were notified as "Forest less than 75 years, prior to the 13th day of December 2005 and are located in village **Barani** having no recorded population of schedule tribes as per the census-2001 and the census-2011.

(Dr. Jitendra Kumar Soni)
District Collector, Nagaur

Dated 14-06-21

No. Same/ 3258-60

1. Copy forwarded to Dy. General Manager (Retail), Hindustan Petroleum Corporation Ltd, Retail Region, Jodhpur with original certificate.
2. Dy. Conservator of Forest, Nagaur
- ✓ 3. Guard File

(Manoj Kumar)
Add. District Collector
Nagaur

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Executive Officer-Retail



Rajasthan State Pollution Control Board
First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagaur

Phone: 01582-294353 Fax: 01582-294353

Registered



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Ack)/Nagaur(Nagaur)/20(1)/2021-2022/1467-1468

Order No: 2021-2022/Nagour/12040

Date : 28/03/2022

From :

Regional Officer[Nagour]
 Rajasthan State Pollution Control Board,
 First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagour

To,

M/s SHRI JASNATH FILLING STATION, BADANI (UnitID:117509)
 Kh. No. 1036/1007 of Village Badani, Nagaur Bikaner (NH-89), Dist. Nagaur , Nagaur Tehsil:Nagaur
 District:Nagaur

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 02/02/2022 of your application dated 02/02/2022 for **Consent to Establish** for (project / process / activity name) **SHRI JASNATH FILLING STATION BADANI** under **section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** having capital cost of the project Rs. **30.00 Lacs** duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 3,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Establish**, of the State Board, under **section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981** ,to **Consent to Establish** your industry at **Kh No 1036/1007 of Village Badani, Nagaur Bikaner NH-89, Dist Nagaur RURAL , Nagaur Tehsil:Nagaur District:Nagaur** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under **Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing** as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

Duly Constituted Attorney
 For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
 Page 1 of 3

Praveen Kumar
 Chief Regional Manager-Retail

Signature valid

Digitally signed by Praveen Kumar
 Agarwal
 Date: 2022.03.28 16:24:20 IST
 Reason: Self Attested
 Location:



Specific Condition :

1. That this acknowledgement is being issued for the Automobile fuel outlet of PETROL 15 KL/MONTH, DIESEL 35 KL/MONTH, LUBRICATING OIL 70 LIT/DAY Sought by SH GOPI RAM GODARA at Khasra no. 1036/1007 (OLD 525/128), AT Village – BARANI, Tehsil - NAGOUR, District – NAGOUR, which is dully converted for COMMERCIAL PUPOSE (PETROL PUMP USE ONLY) by DISTRICT COLLECTOR NAGOUR (KARYALAYA VIHIT PRADHIKAARI) VIDE CONVERSION ORDER DATED 14.02.2020.
2. The total capital investment in the project without depreciation shall not exceed 30 lacs.
3. That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority. Besides no trade effluent shall be generated from the facility.
4. That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/industry/process/project. The liability of veracity and correctness of the uploaded document/information shall solely be of the applicant only.
5. In case, any direction for closure has been issued by the State Board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgment shall not be considered as consent, in any case and shall be treated null & void.
6. That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted /uploaded at the time of seeking consent.
7. That submission of any incorrect or partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code'1860, Information Technology Act'2000, & Air (Prevention & Control of Pollution) Act'1981, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of the statutes.
8. That unit shall comply with all the provisions and conditions as mentioned by guidelines issued by Central Pollution Control Board O.M. dated 07.01.2020 and addendum dated 16.08.2021. (Copy enclosed).
9. That the total sludge and other hazardous waste shall be disposed as per Rule no. 08 of Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and amendments.
10. That the unit/ petrol pump shall obtain the authorization for hazardous waste under Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and further amendments.
11. The unit shall comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 and any further amendments, if applicable.

Duly Constituted Attorney
For Hindustani Petroleum Corporation Ltd.

Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2022.03.28 16:24:20 IST
Reason: Self Attested
Location:



- 3 12. The unit shall comply with the provisions of "Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989" under the Environment. (Protection) Act, 1986 and any further amendments, if applicable.
13. The filling station shall get permission for establishment of fuel station from competent authorities such as District Administration, LSG, PESO etc.
14. This acknowledgment is not evidence for ascertaining entitlement of land.
15. This acknowledgement shall be subjected to compliance of any direction or order passed by court of law in matter.
16. That the grant of this acknowledgement is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
17. Unit proponent shall use this filling station as Consumer Pump only and shall not carry out any commercial activity without prior permission of State Board.

This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

Regional Officer[Nagour]

1 Master File.

Regional Officer[Nagour]

Duly Constituted Attorney
For Hindustan Petroleum Corporation Ltd.


Praveen Kumar
Chief Regional Manager-Retail

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar
Agarwal
Date: 2022.03.28 16:24:20 IST
Reason: SelfAttested
Location:



60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 11th day of October of the year 2023.

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda, Ralmagra Branch, District Rajasmand, Rajasthan 313329 for an amount Rs. 3.13,116.93 (Rupees Three Lakhs Thirteen Thousand One Hundred Sixteen & Paise Ninety Three Only) as on 19.01.2023 and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of Equitable Mortgage of Residential Land & Building situated at Patta No. 031 at Brahmapuri Mohalla, Village Sadri, Tehsil Ralmagra, Rajasmand, Rajasthan 313329 Admeasuring area 679 Sq. Feet in the name of Shri Jagdish Chandra Sharma S/o Shri Roop Lal Sharma Bounded by:- North: House of Shankar Lal Joshi, South: House of Baluram Joshi, East: Main Road, West: Main Road
Place: Ralmagra
Date: 11.10.2023
Sd/-
Authorised officer

Date of Sale (Online)	From 17.10.2023 15:00 hrs. to 07.11.2023 upto 15:00 hrs.
Date & Time of submission of tender online	On or before 07.11.2023 upto 16:30 hrs.
Date & Time of opening of tender online	08.11.2023 at 11:30 hrs.
Place of Opening & Communication Address of the lender	Senior General Manager/TI/Area-III, Container Corporation of India. Ltd. I, MDBP Building, 3rd Floor, Okhla Industrial Estate, Opp. NSIC Okhla Metro Station, New Delhi-110020, E-mail: akmlsharma@concorindia.com

For Qualification Criteria, Experience with respect to nature of work etc please refer to detailed tender notice available website tenderwizard.com/CCL, concorindia.co. in & eprocure.gov.in. Further, Corrigendum/Addendum to this tender, any, will be published on said websites only. Newspaper press advertisement shall not be issued for the same.
Sd/- Sr. GM/TIA

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 10.06.2021 calling upon the Borrowers **NARESH PARWANI, REKHA PARWANI AND M/S RAJ TRADERS THROUGH ITS PROPRIETOR NARESH PARWANI** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.26,48,937.43 (Rupees Twenty Six Lakhs Forty Eight Thousand Nine Hundred Thirty Seven and Paise Forty Three Only)** against Loan Account No. **HHLJA100475700** as on 09.06.2021 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 11.10.2023.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount **Rs.26,48,937.43 (Rupees Twenty Six Lakhs Forty Eight Thousand Nine Hundred Thirty Seven and Paise Forty Three Only)** as on 09.06.2021 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO-F-4, ON FIRST FLOOR AT PLOT NO-46, SCHEME, BAL VIHAR COLONY KALWAR ROAD, JHOTWARA JAIPUR -302012, RAJASTHAN.

Date : 11.10.2023
Place : JAIPUR
Authorized Office
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

POSSESSION NOTICE
(for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029)** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (1) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 27.07.2023 calling upon the Borrower(s) **RAJEEV KUMAR SHARMA AND SHIKHA ALIAS SHIKHA SHARMA** to repay the amount mentioned in the Notice being **Rs.12,92,777.55 (Rupees Twelve Lakh Ninety Two Thousand Seven Hundred Seventy Seven and Paise Fifty Five Only)** against Loan Account No. **HHLGRV00502198** as on 26.07.2023 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower (s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower (s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 12.10.2023.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of **INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED** for an amount **Rs.12,92,777.55 (Rupees Twelve Lakh Ninety Two Thousand Seven Hundred Seventy Seven and Paise Fifty Five Only)** as on 26.07.2023 and interest thereon.

The Borrower's attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

FLAT NO. 1107 HAVING SUPER AREA 750 SQUARE FEET, CARPET AREA 495.97 SQUARE FEET ON 11TH FLOOR, TOWER - D1 IN THE GROUP HOUSING COMPLEX KNOWN AS DELIGHT RESIDENCES SITUATED AT TAPUKARA, BHIWADI-301019, RAJASTHAN TOGETHER WITH OPEN PARKING NO. D1-1107 HAVING AREA 14 FEET X 7 FEET ALONGWITH UNDIVIDED PROPRIETARY SHARE IN LAND WITH RIGHT, TITLE AND INTEREST THEREON.

Date : 12.10.2023
Place : BHIWADI
Authorized Office
INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

क्रमांक: प. 1 (95) वन/2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

जयपुर, दिनांक 10.04.2023

विषय:- Diversion of 0.1845 ha forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited Jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Kharsa No. 525/128, At Village- Barani, Tehsil- Nagaur, District- Nagaur, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/57309/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रक एफ 14 (535/47)2021/एफसीए/प्रमुख/4488 दिनांक 13.01.2023

महोदय,
उपरोक्त विषयान्तर्गत संबंधित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम बरानी, तहसील नागौर जिला नागौर के खसरा नम्बर 525/128, स्टोन नम्बर 180-181 के 341 Chainage: 180/949 - 180/994 हेतु प्रस्तावित पेट्रोलियम पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1845 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1845 ha forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited Jodhpur for Construction of Approach Road For Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Kharsa No. 525/128 At Village- Barani, Tehsil- Nagaur, District- Nagaur, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/57309/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- वाचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परित्यक्त होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसेडिंग/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोलियम पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गाईड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा विद्या निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दसों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में किये गए आदेशानुसार शूद्र वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शूद्र वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/पूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दसों में बढ़ोतरी होती है तो बची हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को पूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ध्ववीच- (मोनोली सेन)
विशेषाधिकारी

परीक्षाओं, प्रोजेक्शन, पोस्ट प्रोजेक्शन में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, नीट और आईआईटी में चयनित विद्यार्थियों, सरकारी नौकरियों में नवनियुक्त कर्मचारियों, खेलकूद सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली समाज की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित

प्रजापत, भागीरथ टांक, लालाराम प्रजापत, जवानाराम, मदनलाल, कैलाश, अमरचंद, बद्रीलाल, भंवरलाल कारगवाल, नानूराम, हंसराज किरोड़ीवाल, धनाराम मंगलाना, कुंदनमल, भंवरलाल डीडवाना, भंवरलाल मंडावर, रामेश्वरलाल देवलिया, झूमरराम, रामपाल सहित अनेक लोग मौजूद थे।

विधिक सेवा प्राधिकरण की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन

25 अक्टूबर से शुरू होगी जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं, हजारों स्कूली बच्चे ले रहे भाग

बढ़ते कदम संवाददाता जयपुर, 16 अक्टूबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रथम चरण आज समापन हो गया। ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं बाद अब 25 अक्टूबर से जिला स्तर की प्रतियोगिताएं शुरू होगी।

रालसा के निर्देश पर प्रदेशभर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करवा रहा है। सरकारी स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राएं इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्तर के बाद 6 नवम्बर से संभाग स्तरीय

प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। जिसमें जिले की स्कूली टीमें भाग लेंगी। वहीं जिला स्तर पर व्यक्तिगत खेलों में टॉप-3 पर रहने वाले खिलाड़ी खेलेंगे। इन प्रतियोगिताओं में टेबिल टेनिस, बेडमिंटन, 100,200,400 मीटर रेस, लॉग जंप, हाई जंप, कब्बड़ी फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और शतरंज में स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। जीतने वाली टॉप-3 टीमों और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जयपुर जिले में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

अब जान से मारने की धमकी दी के नाम पर 27.57 लाख ठगे

नौकरी लगवा देगा। नौकरी के बदले 27.57 लाख रुपए देने होंगे। झांसे में आकर विजेंद्र ने 24.30 लाख रुपए नगद राकेश को दे दिए और बाकी रुपए बैंक में ट्रांसफर कर दिए। लेकिन राकेश ने विजेंद्र को न तो कोई परीक्षा दिलवाई और नहीं उसकी कोई नौकरी लगवाई। विजेंद्र ने राकेश को रुपए भी उधार लेकर दिए थे। पहले तो राकेश बहाने बनाता रहा। लेकिन जब विजेंद्र

16 अगस्त को राकेश के गांव गया तो वहां राकेश ने कहा कि न तो नौकरी मिलेगी और न ही रुपए वापस मिलेंगे। मौका पाकर तुझे हॉस्टल से किड़नैप कर जान से मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरा बड़े नेताओं से संपर्क है इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल उद्योग नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फुसलाकर अपन साथ भगा ल गया था। अब पुलिस ने उसे नृसिंह बासनी से पकड़ लिया है। थानाधिकारी विनोद मीणा ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपी ब्यावर जिले के आनंदपुर कालू थाना क्षेत्र के बलुंदा निवासी सुनील उर्फ सुरेंद्र

का हमार घर पर आन-जान वाला सुनील उर्फ सुरेंद्र नाम का युवक बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है। जिस पर थांवला थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 342 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की इवेस्टिगेशन शुरू की थी।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (95) वन/2021
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

राज्य, दिनांक 10.04.2023

विषय:- Diversion of 0.1845 ha forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited Jodhpur for Construction of Approach Road for Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128, At Village- Barani, Tehsil- Nagaur, District- Nagaur, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/57309/2020)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (535/47)2021/एफसीए/प्रमुखस/4488 दिनांक 13.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जोधपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम बरानी, तहसील नागौर जिला नागौर के खसरा नम्बर 525/128, स्टोन नम्बर 180-181 के 341 Chainage: 180/949 - 180/994 हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1845 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1845 ha forest land in favour of Hindustan Petroleum Corporation Limited Jodhpur for Construction of Approach Road For Proposed Hindustan Petroleum Corporation Ltd. Retail Outlet on Nagaur Bikaner Road NH-89 between KM Stone No. 180-181 (Chainage: 180/949 - 180/994) LHS in Khasra No. 525/128 At Village- Barani, Tehsil- Nagaur, District- Nagaur, Rajasthan (Proposal No. FP/RJ/ROAD/57309/2020) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यापीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियां एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को स्मोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर टी गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
12. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते गूवे राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शूद्र वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शूद्र वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के नदयें निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
14. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोत्ती होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय पीन टिब्युनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को वृत्त एग्जेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (मोनोली सेन)
विशेषाधिकारी